

प्रपत्र—१
(दो प्रतियों में)
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

(दुर्घटना सूचना प्रपत्र)

(दो प्रतियों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी / पंचायत / शहरी निकाय कार्यालय में दिया जायेगा।)

प्रेषक,

.....
.....
.....

महाशय,

यह सूचित करना है कि श्रीमती / श्री जो कि श्री
के पुत्र / पुत्री / पत्नी आधिवासी ग्राम
में (ग्राम का नाम / शहर / जिला / राज्य) (दुर्घटना का स्थान)
कार्यरत था, की मृत्यु (दुर्घटना की तिथि) (मृत्यु का कारण) है।

आपका विश्वासभाजन,

दावाकर्ता / सूचक का नाम पिता का नाम
ग्राम पंचायत जिला
मृतक से आवेदक का संबंध

प्राप्ति रसीद
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना

प्रपत्र—१ में प्रवासी मजदूर की मृत्यु के संबंध में श्रीमती / श्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीमती / श्री
से सूचना प्राप्त किया।

हस्ताक्षर :
नाम :
पदनाम :
मुहर :

तिथि :